मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद

(म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

59, अरेरा हिल्स, नर्मदा भवन, द्वितीय तल, भोपाल

फोन 0755–2551486–87 फैक्स 2550094

क्र. 3295/MGNREGS-MP/NR-I/13 भोपाल, दिनांक 04/04/2013

प्रति,

1. कलेक्टर / जिला कार्यक्रम समन्वयक
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी / अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
   जिला/जिला पंचायत –.................... (समस्त) मध्यप्रदेश।

विषयः– **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी दर में संशोधन विषयक।**

संदर्भः– **भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 26 फरवरी 2013**

–––0–––

1. वर्तमान में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – म.प्र. के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी दर रूपए 132/– निर्धारित है। यह मजदूरी दर दिनांक 23 मार्च 2012 से भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अनुसार 01 अप्रैल 2012 से स्वीकृत है।

2. संलग्न संदर्भित अधिसूचना अनुसार दिनांक 26 फरवरी 2013 के अनुसार भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम– म.प्र. के अंतर्गत अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर **राशि रूपए 146/– प्रतिदिन स्वीकृत की गई है। यह मजदूरी दर दिनांक 01 अप्रैल 2013 से प्रभावशील होगी। अतः तद्नुसार मजदूरी राशि का भुगतान करें।**

उपरोक्तानुसार महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्धारण अनुसार ही दिनांक 01 अप्रैल 2013 से संशोधित न्यूनतम मजदूरी दर देय होना सुनिश्चित करें, इसके अलावा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत यह भी सुनिश्चित करें कि उनके जिले के अंतर्गत प्रत्येक मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाली समस्त ग्राम पंचायतों को संशोधित न्यूनतम दर की सूचना अनिवार्यतः दी जावें। साथ ही प्रत्येक ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर भी उक्त सूचना अनिवार्यतः चस्पा की जावें एवं उक्त बढ़ी हुई मजदूरी दर का सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधि अंतर्गत अधिक से अधिक प्रचार–प्रसार किया जाए।

(डॉ. रवीन्द्र पस्तोर)

आयुक्त

म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद

3296

पृ. क्र. /MGNREGS-MP/NR-I/13 भोपाल, दिनांक 04/04/2013

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
2. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सादर सूचनार्थ।
3. सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सादर सूचनार्थ।
4. संभागायुक्त संभाग – .... (समस्त), की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5. संचालक, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण प्रशिक्षण संस्थान, जबलपुर की ओर सूचनार्थ
6. मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय की ओर सूचनार्थ।
7. उपायुक्त (विकास), संभागायुक्त कार्यालय संभाग – .... (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
8. समस्त शाखा प्रभारी, मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद की ओर सूचनार्थ

4.4.13

आयुक्त

म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद